

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(1)(6)चवे 86/अलेसे-III/ 345 दिनांक :- 21.06.2023

आदेश संख्या 23/ 2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6/2/एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.98 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को क0 लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम सं० 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (6500-200-10500) में स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम क0 लेखाकार सर्वश्री	मेरिट नं०	कार्यग्रहण तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राजकुमार स्वामी (सेवानिवृत्त)	आर18/1986	22.10.1988	22.10.2006	—

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01(20)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 23.04.94 में दी हुई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त क0 लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.98 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित क0 लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(1)(6)चवे 86/अलेसे-III/ 345

दिनांक :- 21.06.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उप निदेशक ए.सी.पी. अपलोड करने हेतु।
4. श्री राजकुमार स्वामी, क0 लेखाकार (सेवानिवृत्त) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
5. निजी/गार्ड फाईल।


(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)